

राज्य बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

जनपद

जि०उ०अ० कार्यालय की पंजीकरण पंजिका के अनुसार क्रमांक एवं दिनांक

उद्यान कार्ड संख्या

बागवानी मिशन के अन्तर्गत औद्यानिक यन्त्रीकरण (**Horticulture Mechanization**) के लिये आवेदन हेतु प्रारूप—B12

1. लाभार्थी का नाम (Name of Beneficiary) :

2. पिता/पति का नाम (Father/Husband Name) :

3. लाभार्थी का पता
Beneficiary address :

गाँव का नाम
Village Name :

डाकखाना (Post Office)
विकासखण्ड (Block)
जनपद (District)
मोबाइल / टेलीफोन (Mobile / Telephone) :

आवेदक का
उ०स०द०क० प्रभारी
द्वारा प्रमाणित
नवीनतम फोटोग्राफ
(Attested by Mobile
team incharge
recent photograph
of farmer)

4. लाभार्थी की श्रेणी (Beneficiary Category)

सामान्य वर्ग (General)

पिछड़ा वर्ग (Backward)

अनुसूचित जाति (SC)

अनुसूचित जनजाति (ST)

5. कृषक श्रेणी (Farmer Category)

अ) लघु/सीमान्त (Small/Marginal)

बड़े किसान (Big farmer)

ब) पुरुष (Male)

महिला (Female)

6. क्षेत्र (Area)

पर्वतीय (Hill)

मैदानी (Plain)

7. लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता
(Beneficiary education qualification)

नॉन मैट्रिक (Non Metric)

12वीं (Intermediate)

मैट्रिक (Metric)

स्नातक (Graduate)

8. कार्यक्रम के अन्तर्गत आवेदन की श्रेणी — Applied for (केवल एक ही श्रेणी में आवेदन अनुमत्य है — Eligible for only one category)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत या अधिकतम रु0 1.00 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 25 प्रतिशत या अधिकतम रु0 0.75 लाख प्रति लाभार्थी (35% (Rs 1.00 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 25% (0.75 lakh) for other beneficiaries)

श्रेणी-i) ट्रैक्टर (20 पी0टी0ओ एच0पी0 तक) - Tractor (up to 20 PTO HP)

नाम (Name)

क्षमता पी0टी0ओ0 एच0पी0 में (Power in PTO HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 0.50 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 40 प्रतिशत या अधिकतम रु0 0.40 लाख प्रति लाभार्थी (50% (Rs 0.50 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 40% (0.40 lakh) for other beneficiaries)

श्रेणी-ii - a) पॉवर टिलर (8 बी0एच0पी0 तक) - Power Tiller (below 8 BHP)

नाम (Name)

क्षमता बी0एच0पी0 में (Power in BHP HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 0.75 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 40 प्रतिशत या अधिकतम रु0 0.60 लाख प्रति लाभार्थी (50% (Rs 0.75 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 40% (0.60 lakh) for other beneficiaries)

श्रेणी-ii - b) पॉवर टिलर (8 बी0एच0पी0 से अधिक) - Power Tiller (8 BHP & above)

नाम (Name)

क्षमता बी0एच0पी0 में (Power in BHP HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 0.15 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 40 प्रतिशत या अधिकतम रु0 0.12 लाख प्रति लाभार्थी (50% (Rs 0.15 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 40% (0.12 lakh) for other beneficiaries)

श्रेणी-iii - a) ट्रैक्टर/पॉवर टिलर (20 बी0एच0पी0 तक की शक्ति से चालित) भूमि

सुधारीकरण, जुताई व बीजाई हेतु क्यारी तैयारी हेतु आवश्यक उपकरण - Tractor / Power Tiller (below 20 BHP) (Driven equipment) - Land Development, tillage and seed bed preparation equipments

नाम (Name)

क्षमता बी0एच0पी0 में (Power in BHP HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 0.15 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 40 प्रतिशत या अधिकतम रु0 0.12 लाख प्रति लाभार्थी (50% (Rs 0.15 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 40% (0.12 lakh) for other beneficiaries)

श्रेणी-iii - b) ट्रैक्टर/पॉवर टिलर (20 बी0एच0पी0 तक की शक्ति से चालित) बुआई, कटाई व खुदाई हेतु उपकरण - Tractor / Power Tiller (below 20 BHP) (Driven equipment) - Sowing, planting reaping and digging equipments

नाम (Name)

क्षमता बी0एच0पी0 में (Power in BHP HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 0.35 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 40 प्रतिशत या अधिकतम रु0 0.28 लाख प्रति लाभार्थी (50% (Rs 0.35 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 40% (0.28 lakh) for other beneficiaries)

श्रेणी-iii - c) ट्रैक्टर/पॉवर टिलर (20 बी0एच0पी0 तक) प्लास्टिक मल्चिंग बिछाने की मशीन - Tractor / Power Tiller (below 20 BHP) (Driven equipment) - Plastic mulch laying machine

नाम (Name)

क्षमता बी0एच0पी0 में (Power in BHP HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 1.25 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 40 प्रतिशत या अधिकतम रु0 1.00 लाख प्रति लाभार्थी (50% (Rs 1.25 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 40% (1.00 lakh) for other beneficiaries)

श्रेणी-iv) औद्योगिकी हेतु स्वचालित मशीन - Self propelled horticulture machinery

नाम (Name)

क्षमता बी0एच0पी0 में (Power in BHP HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

9. प्रस्तावित मशीन व उपकरण की कुल लागत (Total cost of proposed Tool / Equipment)

: कोटेशन/इस्टीमेट संलग्न करें।
(Enclosed Quotation / Estimate)

10. मशीन व उपकरण आई.एस.आई. मार्क (Machine / Equipment ISI Mark)

हॉ (Yes)

नहीं (No)

11. धनराशि की व्यवस्था (Fund arrangement)

किसान क्रेडिट कार्ड से (Through farmer credit card)

कार्ड नम्बर (Card No.)

क्रेडिट लिमिट (Credit limit)

जारीकर्ता बैंक (Bank Name)

बैंक ऋण से (Through Bank Loan)

ऋणदाता बैंक(Loan provider bank)

निजी स्रोत से (By Self)

खाता संख्या (Account No)

अन्य स्रोत से (By other Source)

बैंक का नाम (Bank Name)

स्रोत इंगित करें(Source detail)

किसान क्रेडिट कार्ड की प्रति/बैंक ऋण स्वीकृति पत्र/निजी स्रोत के सापेक्ष बैंक द्वारा प्रमाणित एकाउण्ट स्टेटमेंट व अन्य स्रोत के सापेक्ष साक्ष्य संलग्न करें। (Enclosed Farmer Credit Card copy/ Bank loan approval letter / Bank statement certificed by bank for self source and other source arrangement)

12. लाभार्थी के नाम कुल कृषि योग्य भूमि
(जो राजस्व अभिलेखों में उसके स्वयं के नाम दर्ज हो)
Total agriculture land of beneficiary

है0 (ha.)

बागवानी फसलों के
अन्तर्गत क्षेत्रफल

है0 (ha.)

13. खसरा संख्या
(Khasra No.)

सिंचाई की उपलब्ध सुविधायें
(Irrigation facilities)

14. लाभार्थी द्वारा वर्तमान में उत्पादित फसलों का
विवरण (Detail of crops produce by
beneficiary)

:

15. कार्यक्रम का उद्देश्य (Objective of the
programme)

:

16. पावर मशीन व उपकरणों का उपयोग किस
कार्य के लिये किया जाना है

:

17. संलग्न करें:-

- उद्ग्रण खतौनी की प्रमाणित प्रति।
- मदवार व्यय विवरण।
- पूँजी प्रबन्धन के सापेक्ष साक्ष्य की प्रति।
- उद्यान कार्ड की छायाप्रति।
- रु0 10 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।

आवेदक के हस्ताक्षर

जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण जनपद स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा कर लिया गया है।

अ) प्रस्ताव में पायी गयी कमियों—

1.
2.
3.
4.
5.

प्रस्ताव में उपरोक्त कमियों पायी गयी हैं, जिनके निराकरण हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभारी, उद्यान सचिव दल केन्द्र के माध्यम से कास्तकार को प्रेषित किया जाना उचित

ब) प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया गया है, प्रस्ताव स्वीकृति योग्य है। अतः स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

समिति के सदस्यों का नाम, पदनाम व हस्ताक्षर

	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			